HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

ORDER

S.B.Criminal Misc. Bail Canc. No. 178/ 2017

Suo Moto versus Ram Chandra Meena

आदेश दिनांकः 31.01.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।
श्री रोहन जैन, अधिवक्ता–अप्रार्थी–अभियुक्त की ओर से।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने एकलपीठ फौजदारी विविध जमानत आवेदन संख्या 16765/2017 (लल्लूराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) के प्रकरण में दिनांक 13.12.2017 को निम्न आदेश पारित किया था–

> *"1. Petitioner has filed this second bail application under Section 439 of Cr.P.C.*
> *2. F.I.R. No.265/2017 was registered at Police Station A.C.B.,Jaipur for offence under Sections 7, 13 (1) (D) and 13 (2) of PC Act and Section 120-B I.P.C.*
> *3. It is contended by the counsel for the petitioner that the main allegation in the FIR is against SDM-Ramchandra Meena. It is contended that the main accused SDM has been granted benefit of bail by the trial Court even when he was having criminal antecedent of like nature against him.*
> *4. Learned Public Prosecutor has opposed the bail application. His contention is that there is transcript of the petitioner wherein he has admitted receiving Rs.2,00,000/- and Rs.80,000/- was recovered from his conscious possession when the raid was conducted.*
> *5. I have considered the contentions. The ACB after due investigation has submitted charge-sheet against the present petitioner. From the transcript it is evident that he demanded money and the money has been recovered from him. Hence, I am not inclined to grant benefit of second bail to the petitioner.*

6. The second bail application is rejected.
7. However, since the co-accused has been granted bail by the trial Court even though he has criminal antecedent and from the transcript also his communication with the complainant is made out. The Court deems it proper to suo-moto institute bail cancellation application.
8. Let notice be issued to co-accused-SDM-Ramchandra Meena and the office is directed to register the bail cancellation application against him."

उक्त आदेश की पालना में यह जमानत निरस्तीकरण का आवेदन स्व–मोटो दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी अभियुक्त रामचन्द मीणा को नोटिस जारी किया गया। जिस पर उसके अधिवक्ता श्री रोहन जैन उपस्थित आये।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.09.2017 को परिवादी श्री कप्तान सिंह डागुर ने महानिदेशक ए.सी.बी. राजस्थान के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि–

''सेवा में, श्रीमान निदेशक महोदय, ए.सी.बी. राजस्थान,
विषय : एसडीएम हिण्डौन सिटी रामचन्द्र मीणा द्वारा रिश्वत मांगने के क्रम में।
महोदय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मेरी मौसी का लडका रघुवीर सिंह डागुर हिण्डौन सिटी में सिंह हॉस्पीटल एण्ड सर्जरी सेन्टर चलाता है। एसडीएम हिण्डौन सिटी के द्वारा दिनांक 27.07.2017 को राकेश पुत्र रामेश्वर जाति जाटव निवासी खेडलियान का पुरा के द्वारा कोतवाली हिण्डौन सिटी में रघुवीर सिंह डागुर के खिलाफ भामाशाह में पैसे लेने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी। जबकि गलती से हॉस्पीटल के रिसेपसनिस्ट ने पैसे ले लिये थे। जिसकी जानकारी हॉस्पीटल के संचालक रघुवीर सिंह डागुर को एफआईआर दर्ज होने के बाद में पता चला। मैंने मेरे भाई के कहने पर एसडीएम साहब से माफी मांगी और एसडीएम साहब से विनम्र किया कि सर इस केस को सोल्ब करे। तो एसडीएम साहब ने मेरे से 500000 (पांच लाख) देने को कहा। मैंने साहब से निवेदन किया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो साहब ने मेरे से कहा कि आपका भामाशाह बन्द करवा दूंगा। एसडीएम हिण्डौन कभी तो ड्राईवर को भेजते हैं तो कभी उनके पी.ए. से बात करने को बोलते हैं।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि एसडीएम हिण्डौन सिटी

रामचन्द्र मीणा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। सर हम लोंगों को एसडीएम साहब एवं सी. आई. हिण्डौन शिवकुमार भारद्वाज ने बहुत परेशान कर रखा है। इसी केस में सी.आई. हिण्डौन ने हमसे 3,60,000/– पहले ले चुके हैं और 1,50,000/– की डिमाण्ड और कर रहे हैं।
अतः महोदय जी से निवेदन है कि सीआई हिण्डौन एवं एसडीएम हिण्डौन सिटी के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

एसडी
कप्तान सिंह डागुर''

उक्त रिपोर्ट के तथ्यों का सत्यापन करने के बाद ट्रेप कार्यवाही कर, आरोप सत्य पाये पाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 265/2017 पुलिस थाना ए.सी.बी., जयपुर में धारा 7, 13(1)(डी) तथा 13(2) पी.सी.एक्ट तथा 120बी भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अप्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दौराने अनुसंधान अप्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विशेष सेशन न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर के समक्ष विविध फौजदारी प्रकरण संख्या 91/2017 अन्तर्गत धारा 439 में जमानत आवेदन पेश किया, जिसे दिनांक 07.10.2017 के आदेश द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात सह–अभियुक्त लल्लूराम को भी इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। उसकी ओर से भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिसके विरूद्ध सह–अभियुक्त लल्लूराम ने इस न्यायालय के समक्ष एकलपीठ फौजदारी विविध (द्वितीय) जमानत आवेदन संख्या 16765/2017 पेश की, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2017 के आदेश द्वारा अस्वीकार करते हुए अप्रार्थी–अभियुक्त रामचन्द्र मीणा की जमानत जो कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2017 को स्वीकार की गयी थी, को अस्वीकार किये जाने हेतु नोटिस दिया। जिस पर यह प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

विद्वान लोक अभियुक्त श्री जीतेन्द्र श्रीमाली ने निवेदन किया है कि एक ही मामले में अप्रार्थी अभियुक्त रामचन्द्र मीणा और लल्लूराम को गिरफ्तार किया गया था। अप्रार्थी अभियुक्त रामचन्द्र मीणा तत्समय एसडीएम के पद पर कार्यरत था तथा लल्लूराम उनका रीडर था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी ने एसडीएम पर पांच लाख रूपये की रिश्वत मांगने का आरोप

लगाया है और एसडीएम ने इस संबंध में अपने पी.ए., ड्राईवर तथा रीडर से बात करने के लिए कहा था जो टेलीफोनिक वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट से स्पष्ट है। लल्लूराम तथा अप्रार्थी अभियुक्त रामचन्द्र मीणा दोनों के मध्य टेलीफोन वार्ता हुई है, जिसमें स्पष्ट आया है कि देन–लेन का मामला लल्लूराम के मार्फत तय किया गया है तथा लल्लूराम से रंगे हाथ रिश्वत की राशि 2,80,000/– बरामद हुई है। पूछताछ में लल्लूराम ने स्पष्ट कहा है कि इसमें 2,50,000/– रूपये एसडीएम साहब को देने थे तथा 30,000/– रूपये उसको रखने थे, जिसमें से 10,000/– रूपये ड्राईवर तथा 20,000/– रूपये स्वयं के थे। उन्होंने निवेदन किया है कि अप्रार्थी के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) तथा 13(2) के अपराध में एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट 97/2016 पुलिस थाना एसीबी एसयू बीकानेर प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में दर्ज है जो अनुसंधानाधीन है तथा उसके अनुसंधानरत रहते हुए अप्रार्थी द्वारा यह दूसरा अपराध किया गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि एसडीएम कार्यालयध्यक्ष होता है और उसके द्वारा अपने मातहतों को साथ लेकर भ्रष्टाचार करना अपराध को और गंभीरतम बनाता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थी का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाते समय अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दर्ज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कोई तथ्य ना तो ए.सी.बी. की ओर से संबंधित न्यायालय के समक्ष रखे गये थे और ना ही अभियुक्त की ओर से रखे गये। उन्होंने निवेदन किया है कि जब लल्लूराम का जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो उससे गंभीरतम अपराध तो अप्रार्थी अभियुक्त रामचन्द्र मीणा एसडीएम का था। लल्लूराम तो उसका अधीनस्थ कर्मचारी था जिसने उसके कहने से रिश्वत की राशि प्राप्त की थी।

उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार को समाज के लिए दीमक बताया है जो समाज को खोखला किये जा रहा है और ऐसे मामलों में अभियुक्त के प्रति न्यायालय को किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं बरतने हेतु निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि यदि अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ जाते तो अप्रार्थी का जमानत आवेदन कतई स्वीकार नहीं हो सकता था। उन्होंने निवेदन किया है कि जहां वरिष्ठ अधिकारी अपने मातहतों को लेकर भ्रष्टाचार का अपराध करता है, ऐसे मामलों में अभियुक्त

को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

उन्होंने निवेदन किया है कि इस न्यायालय ने गोपेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10523/2017 में आदेश दिनांक 30.08.2017 के द्वारा पुलिस निरीक्षक के पद पर होते हुए अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर आपराधिक प्रकरण में नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन दिये जाने हेतु 45000/– रूपये की रिश्वत की राशि लेने के आरोप को देखते हुए यह कहते हुए अस्वीकार किया गया था कि जहां वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को साथ लेकर रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार फैलाता है तो ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की सहानुभूति का अधिकारी नहीं है।

उन्होंने निवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट जरिये सी.बी.आई. बनाम अमरमणी त्रिपाठी ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 3490 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि सह–अभियुक्त के जुर्म–स्वीकारोत्ति के कथन साक्ष्य में ग्राह्य है, जिन्हें जमानत की स्टेज पर नहीं देखा जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में सह–अभियुक्त लल्लूराम ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने जो राशि ली है, उसमें से 2,50,000/– रूपये एस.डी.एम. (अप्रार्थी/अभियुक्त) के लिए ली है तथा शेष 30,000/– रूपये में से बीस हजार स्वयं के लिए एवं दस हजार रूपये ड्राईवर के लिए लिए हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां अप्रार्थी अभियुक्त का पूर्व आचरण भ्रष्टाचार का रहा है, उसके विरूद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो रखा है तथा उसके विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही उसका नाम स्पष्ट रूप से परिवादी ने लिया है, जिसमें पांच लाख रूपये की राशि मांगने का आरोप है। उसी कडी में सह–अभियुक्त लल्लूराम ने पैसे लिये हैं। ऐसे गंभीर अपराध में अप्रार्थी अभियुक्त को जमानत दिया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः अप्रार्थी का जमानत आदेश निरस्त किया जावे।

उक्त तर्कों का घोर विरोध करते हुए अप्रार्थी अभियुक्त के अधिवक्ता श्री रोहन जैन ने निवेदन किया है कि जमानत आवेदन स्वीकार करने तथा निरस्त करने के अलग–अलग आधार हैं। एक बार जमानत स्वीकार होने के बाद जमानत विशेष परिस्थितियों में ही निरस्त की जा सकती है। उन्होंने निवेदन किया है कि अप्रार्थी अभियुक्त रामचन्द्र मीणा से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। परिवादी से उसके साथ वार्ता की कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। सह–अभियुक्त लल्लूराम के कथन विरोधाभासी हैं। एक तरफ तो वह

कह रहा है कि दो लाख रूपये एसडीएम को दे दिये, वहीं दूसरी तरफ वही राशि उससे बरामद हुई है। उन्होंने निवेदन किया है कि अप्रार्थी अभियुक्त रामचन्द्र मीणा के पास परिवादी का कोई काम शेष नहीं था। संबंधित अस्पताल के बारे में प्राप्त शिकायत आयी तो अविलम्ब पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। परिवादी ने 3,60,000/– रूपये की रिश्वत थानाधिकारी शिवकुमार भारद्वाज को देना बताया है और उसके द्वारा 1,50,000/– रूपये और मांगना बताया है, परन्तु उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जो कोई कार्यवाही लंबित थी, वह थानाधिकारी शिवकुमार भारद्वाज के पास लंबित थी। अप्रार्थी अभियुक्त के पास परिवादी को कोई कार्य लंबित नहीं था। उन्होंने निवेदन किया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद अप्रार्थी अभियुक्त ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और बराबर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है। जो पूर्व का प्रकरण बीकानेर में दर्ज होना बताया गया है, उसमें कोई आरोप पत्र पेश नहीं किया गया है तथा जो आरोप अप्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये हैं, उनका वहां के एसडीएम ने स्पष्ट रूप से खण्डन किया है। ऐसी परिस्थिति में जमानत निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है।

उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधी दस्तावेज अप्रार्थी अभियुक्त के घर से एसीबी द्वारा बरामद किये जा चुके थे। उसके तथ्य ए.सी.बी. के पास थे। अगर उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष तथ्य नहीं रखे तो इसके लिए अप्रार्थी अभियुक्त की जमानत निरस्त नहीं की जा सकती। अन्त में उन्होंने जमानत निरस्तीकरण बाबत् दिये गये नोटिस को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया, उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया।

यह स्वीकृत स्थिति है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक ही प्रकरण में एक ही आरोप में अप्रार्थी अभियुक्त रामचन्द्र मीणा, एसडीएम हिण्डौन तथा उनके रीडर सह–अभियुक्त लल्लूराम को गिरफ्तार किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी पक्ष से एसडीएम द्वारा पांच लाख रूपये की रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसमें से 2,80,000/– रूपये लल्लूराम की सूचना पर उसे बरामद हुए हैं। लल्लूराम का जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया था तथा अप्रार्थी अभियुक्त रामचन्द्र मीणा, एस.डी.एम. का जमानत आवेदन स्वीकार किया गया था।

सह–अभियुक्त लल्लूराम के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ हो, ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है। परन्तु अप्रार्थी अभियुक्त रामचन्द्र मीणा, एसडीएम के विरूद्ध पूर्व में जब वह बीकानेर में एसडीएम के पद पर था, तब उक्त प्रकार से धारा 13(1)(डी), 13(2) पी.सी.एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी जांच के बाद दर्ज हुई है जो अनुसंधानाधीन है। प्रार्थी के विरूद्ध अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मार्फत रिश्वत प्राप्त करने के गंभीर आरोप हैं। एक अधिकारी पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने मातहतों को अनुशासन में रखे तथा वह उनके कार्य व्यवहार के बारे में रिर्पोटिंग अधिकारी होता है। अगर वही अधिकारी अपने मातहतों को रिश्वत जैसे अपराध में शामिल कर रिश्वत की राशि उगाहना शुरू कर दे तो उससे गंभीर अपराध और कोई नहीं हो सकता।

राज्य सेवाओं में अधिकारी जो चयन होते हैं, वे प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्फत चयन किये जाते हैं, जिसमें सर्वोत्तम प्रतिभागी चयनित होते हैं। जो कानूनी प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी रखते हैं। अगर वे अपराध करते हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता लगाकर कानूनी प्रावधानों से बचकर करते हैं। इसलिए मात्र यह कह देना कि राशि बरामदगी अप्रार्थी अभियुक्त से नहीं हुई है, इस स्टेज पर यह नहीं कहा जा सकता कि अप्रार्थी अभियुक्त की आरोपित अपराध में कोई लिप्तता नहीं रही है। इसके अलावा जब पूर्व में प्राथमिकी जांच के बाद अप्रार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, वे तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन स्वीकार करते समय नहीं रखे गये हैं। जबकि इसी मामले में सह–अभियुक्त जो कि अप्रार्थी का अधीनस्थ कर्मचारी है, का जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है तथा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा भी अस्वीकार किया गया है।

इस न्यायालय ने गोपेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (उपरोक्त) के प्रकरण में जमानत आवेदन इस आधार पर अस्वीकार किया था कि अभियुक्त पर अपने मातहतों को साथ लेकर रिश्वत की राशि प्राप्त करने का आरोप था। हस्तगत प्रकरण में भी न केवल अपने मातहतों को साथ राशि प्राप्त करने का आरोप है, बल्कि पूर्व में उसके विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ एम.पी. व अन्य बनाम रामसिंह (2000) 5 एस.सी.सी. 88 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 सामाजिक विधि है जो लोक–सेवकों द्वारा अवैध कार्य की रोकथाम के लिए बनाया गया है और इसका इंटरपिटेशन उद्देश्य की पूर्ति के लिए उदारता से किया जाना चाहिए ताकि उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। भ्रष्टाचार का आरोप एक गंभीर आरोप है। अतः जहां समान परिस्थितियों में सह–अभियुक्त का जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया जबकि अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भ्रष्टाचार के अपराध में प्राथमिकी जांच के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है, के विरूद्ध भ्रष्टाचार के अपराध में ही दूसरा प्रकरण दर्ज होने के बावजूद उसका जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07.10.2017 स्थिर रहने योग्य नहीं पाया जाता है तथा अप्रार्थी अभियुक्त का जमानत आदेश निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः यह स्व–मोटो जमानत निरस्तीकरण आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी–अभियुक्त रामचन्द्र मीणा को आदेश दिया जाता है कि वह अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समर्पण करे। अप्रार्थी–अभियुक्त द्वारा समर्पण नहीं किये जाने की स्थिति में ए.सी.बी. को निर्देशित किया जाता है कि वे अप्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार कर अविलम्ब विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करे तथा विचारण न्यायालय अप्रार्थी–अभियुक्त को अभिरक्षा में ले।

आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के कोर्ट–मास्टर के हस्ताक्षर व मुद्रा सहित विद्वान लोक अभियोजक को आदेश के अग्रेषण एवं पालना हेतु उपलब्ध करायी जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/61